न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 180/2021

<u>उनवान</u>

नरेश राठौड पिता श्री लक्ष्मण राठौड जाति भोई निवासी जवाहर कॉलोनी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज)।

प्रार्थी :—

बनाम

तहसीलदार, गढी जिला बांसवाडा (राज)।

अप्रार्थी :—

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. राज0 काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.4.2023

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 44 नया 41 पुराना के कुल खेत नंग 09 कुल रकबा 0.99 हेक्टर भुमि वाके गांव गढी तहसील गढी जिला बासंवाडा (राज.) मे स्थित है। यह कि उपरोक्त भुमि में प्रार्थी की काश्त होकर प्रार्थी उसमें काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त कृषि भुमि मे आने जाने एवं कृषि करने के लिए ट्रेक्टर व कृषि के अन्य उपकरण ले जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। गढी—डूंगरपुर मुख्य सडक पर चाप नदी से पूर्व दिशा मे शमशान घाट पर जाने के रास्ते जिसका आराजी सर्वे नम्बर 332 रकबा 0.20 हेक्टर, 358 रकबा 0.83 हेक्टर, 6543/358 रकबा 0.75 हेक्टर, 606 रकबा 1.08 हेक्टर आदी श्रीसरकार भुमि है तथा आराजी सर्वे नम्बर 6543/358 रकबा 0.75 मे नाला बना हुआ है। प्रार्थी के उक्त कृषि भूमि में आने—जाने व कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग करने एवं उक्त कृषि भुमि में कृषि करने के लिए टेक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण ले जाने के लिए प्रार्थी अपनी कृषि भूमि सर्वे नम्बर 6422/606 से 332 के मध्य स्थित नाले पर रपट व पाईप डालकर पूल अपने स्वयं के खर्च से रास्ता बनाकर अपनी उक्त कृषि भूमि में कृषि करना चाहता है व वर्तमान फसल को सम्भालना चाहता है। उक्त सर्वे नम्बर 332 एवं प्रार्थी की कृषि भूमि के मध्य स्थित नाले पर रपट बनाये बिना अपनी भुमि का उपयोग उपभोग एवं कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु सर्वे नम्बर 332 एवं नाले पर रपट बनाने की स्वीकृति देने पर किसी भी श्रीसरकार भुमि या कोई अन्य कृषि योग्य भुमि का दुरूपयोग या खराबी नहीं हो रही है। प्रार्थी व अन्य लोगो के पास भी अपनी भुमि मे आने जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। यदि इस रास्ते को नहीं बनाया जाता है तो प्रार्थी अपनी भुमि मे काश्त नहीं कर पायेगा तथा उसे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रार्थी अपनी कृषि भुमि मे आने जाने एवं कृषि उपकरण ले जाने हेतु 30 फीट [illegible] होता है इस कारण से आराजी सर्वे नम्बर 606 जिसमे से नाला बह रहा है मे 30 फीट चौडाई की पैमाइश कर उसे रास्ते व रपट के रूप में उपयोग उपभोग करने [illegible] आवश्यक है। इस हेतु प्रार्थी राजस्व नियमानुसार जो भी शास्ति अधिरोपित होगी अदा करने तत्पर है। तहसीलदार गढी के आदेश पर पटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौका रिपोर्ट [illegible] पटवारी एवं मौकापर्चा दिनांक 08/12/2020 में भी यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी को अपने कृषि कार्य हेतु उक्तानुसार पुल बनाकर रास्ता स्वीकृत किये जाने से किसी अन्य व्यक्ति की खातेदार की कृषि भुमि प्रभावित नही हो रही है तथा श्रीसरकार आराजी नम्बर 332, 358, 6543/358 एवं 606 आंशिक रूप से प्रभावित होंगे। प्रार्थी को यदि उक्त मार्ग खोला जाकर आगे नया मार्ग राजस्व रेकार्ड मे बनवाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.10 11:49:20 IST
Reason: SelfAttested

नही दिया जाता है तो प्रार्थी के खेतो मे खडी फसल नष्ट हो जायेगी इस हेतु रास्तें के रूप में भूमि दर्ज कराने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया कि ग्राम गढ़ी में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु वर्तमान में रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी के खेतों में रास्ता उपलब्ध कराये जाने के कम में सर्वे नम्बर 332 रकबा 0.20 हे0 किस्म–भू.च. में से रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 358 रकबा 0.83 हे0 किस्म– भू.च. में से रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 6543/358 रकबा 0.75 हे0 किस्म– भू.च. में से रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 606 रकबा 1.08 हे0 किस्म–भू.बीड़ में से रकबा 0.01 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.05 हे0 भूमि रास्तें के रूप में किस्म–रास्ता हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न नकल जमाबन्दी, खाता संख्या 44 (नया) 41 (पुराना) एंव भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट तथा तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट आदि का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि प्रार्थी की खाता संख्या 44 (नया) 41 (पुराना) के कुल किता 09 रकबा 0.99 हे0 कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम गढ़ी के सर्वे नम्बर 332 रकबा 0.20 हे0 किस्म–भू.च. में से रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 358 रकबा 0.83 हे0 किस्म– भू.च. में से रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 6543/358 रकबा 0.75 हे0 किस्म– भू.च. में से रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 606 रकबा 1.08 हे0 किस्म–भू.बीड़ में से रकबा 0.01 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.05 हे0 भूमि की वर्तमान बाजार दर अनुसार राशि रू0 1,25,853/– (अक्षरे एक लाख, पच्चीस हजार, आठ सौ तरेप्पन रूपये) नगरपालिका परतापुर–गढ़ी के बैंक खातें में जमा कराये जाकर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परतापुर–गढ़ी से राशि जमा होने की पुष्टि का पत्र प्रस्तुत करने प्रार्थी एंव अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परतापुर–गढ़ी के नाम अहकाम जारी किया जाने पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परतापुर–गढ़ी के पत्रांकः 01 दिनांक 04.4.2023 द्वारा उक्त रास्ते के रूप में दर्ज की जाने वाली राशि नगरपालिका के कार्यालय में नकद जमा कर लिया जाना अवगत कराया।

अतः ग्राम गढ़ी के सर्वे नम्बर 332 रकबा 0.20 हे0 किस्म–भू.च. में से रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 358 रकबा 0.83 हे0 किस्म– भू.च. में से रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 6543/358 रकबा 0.75 हे0 किस्म– भू.च. में से रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 606 रकबा 1.08 हे0 किस्म–भू. बीड़ में से रकबा 0.01 हे0 कुल किता 5 रकबा 0.05 हे0 भूमि को किस्म–रास्ता के रूप में दर्ज करने तहसीलदार गढ़ी को आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.4.2023 को सुनाया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.10 11:49:20 IST
Reason: SelfAttested